तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	तामील में जारी हुये।
22.07.2024	पत्रावली पेश हुयी। अप्रार्थी सं0 1 ता 6 की ओर से इकबालिया जवाब पूर्व से पेश है। शेष अप्रार्थीगण के विरुद्ध पूर्व में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है। वकील प्रार्थी के निवेदन पर बहस एकपक्षीय सुनी गयी। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहरान कर कनि किया कि न्यायालय द्वारा विवादित भूमि राजस्व ग्राम मण्ड्रेला खसरा नं0 29 रकबा 2.90 हैक्टे0, ख0नं0 240 रकबा 0.35 हैक्टे0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.25 हैक्टे0 में से 0.29 हेक्टे0 व खसरा नं0 28 रकबा 0.40 हैक्टे0 सम्पूर्ण, खसरा नं0 241 रकबा 1.15 हैक्टे0 में से 0.90 हेक्टे0 कुल 1.59 हेक्टे0 भूमि जो कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शें में दर्शायी गयी है के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु दिनांक 08.09. 2020 को अन्तरिम टी0आई0 जारी की गयी थी। जिसे बाद में न्यायालय द्वारा आगे नही बढ़ाया गया है। वाद दायरी के बाद उक्त भूमियों में बेचान व आपसी सहमति से विभाजन आदि द्वारा खसरा नम्बरान की स्थिति में परिवर्तन हो गया है अतः खसरा नं0 241 रकबा 1.15 हैक्टे0 व खसरा नं0 28 रकबा 0.40 हेक्टे0 पर तादौराने वाद राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की जावें। पत्रावली का आद्योपांत अध्ययन व बहस प्रार्थीगण पर मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद साक्ष्य की स्टेज पर है, शेष अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम मण्ड्रेला स्थित भूमि खसरा नं0 241 रकबा 1.15 हैक्टे0 व खसरा नं0 28 रकबा 0.40 हेक्टे0 की तादौराने वा राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पत्रावली बाद फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। 22/07/2024 (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा (झुंझुनू)	